रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29122020-223987
CG-DL-W-29122020-223987

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, दिसम्बर 20— दिसम्बर 26, 2020, शनिवार/ अग्रहायण 29— पौष 5, 1942
No. 14] NEW DELHI, DECEMBER 20— DECEMBER 26, 2020, SATURDAY/ AGRAHAYANA 29— PAUSHA 5, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

(i) भारतीय नौसेना सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2003; और

(ii) भारतीय नौसेना सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना में मुख्य तकनीकी अधिकारी, ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी और तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना सिविलियन, मुख्य तकनीकी अधिकारी, ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी और तकनीकी सहायक (समूह 'क' एवं समूह 'ख'पद) भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना**.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडे वर्गों**,भूतपुर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।;

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. मुख्य तकनीकी अधिकारी	04* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पुनर्नियोजित सशस्त्र बलकार्मिक के लिए दो	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत

			वर्ष ।	अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.)में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या प्रबंधकीय कौशल में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) या 12क समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताए और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिक या संचार या सामुद्रिक या नौसेना वास्तुविद या औधोगिक इंजिनियरी में बैचलर डिग्री।

(ii) इंजिनियरिंग के सुसंगत क्षेत्र में दस वर्ष के कार्य का अनुभव जिसमें से डॉकयार्ड और शिपयार्ड के उत्पादन, नियंत्रण, नियोजन और पोतों या जलयानों को पुनः तैयार करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या दूरसंचार या सामुद्रिक या नौसेना वास्तुविद या औद्योगिक इंजिनियरी में मास्टर डिग्री।

(ii) साधारण प्रशासन का दो वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के कमांडर और उससे ऊपर की पंक्तियां समतुल्य के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अर्हताएँ और विहित अनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)	(13)
समुह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. प्रधान निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य । **समुह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. सहायक कार्मिक प्रमुख, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य; 3. प्रधान निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति पर(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)और पुनर्नियोजन के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी।	08* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78800-209200 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिक के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) में ऐसे तकनीकी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधकीय कौशल या तकनीकी में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वशासी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)**(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या **(ii)** जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67700-208700 रु.)या मेंसमतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताए और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिक या संचार या सामुद्रिक या नौसेना वास्तुविद या औधोगिक इंजिनियरी में बैचलर डिग्री।

(ii) इंजिनियरिंग के सुसंगत क्षेत्र में सात वर्ष के कार्य का अनुभव जिसमें से डॉकयार्डऔर शिपयार्ड के उत्पादन, नियोजन,नियंत्रण और पोतो या जलयानों को पुनः तैयार करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय:

साधारण प्रशासन का एक वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति यापुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए):

सशस्त्र बल के लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे ऊपर की पंक्ति या समतुल्य के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अर्हताएँ और विहितअनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है;तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण: -1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैसाधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समुह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य,संघ लोकसेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य। **समुह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1.संयुक्तसचिव (नौसेना),रक्षामंत्रालय- - अध्यक्ष; 2. प्रधान निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य; 3. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और पुनर्नियोजन के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकरना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. तकनीकी अधिकारी।	15* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67700-208700 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिक के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

11

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56100-177500 रु.)में ऐसे कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो औरकिसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या प्रबंधकीय कौशल में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वशासी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क)(i)मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii)मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताए और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत और दूरसंचार या सामुद्रिक या नौसेना वास्तुविद या औधोगिक इंजिनियरी में बैचलर डिग्री।

(ii) इंजिनियरिंग के सुसंगत क्षेत्र में पाँच वर्ष के कार्य का अनुभव जिसमें से डॉकयार्ड या शिपयार्ड के उत्पादन, नियंत्रण, नियोजन और पोतो या जलयानों को पुनः तैयार करने में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

प्रतिनियुक्ति यापुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए):

सशस्त्र बल के लेफ्टिनेंट कमांडर की पंक्ति या समतुल्य के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैंया रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हतायें हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण:-1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव,रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष;	प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और पुनर्नियोजन के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2. संयुक्त सचिव(नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- 1.अपर सचिव,रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी।	32* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100-177500 रु.)	चयन।	35 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण-1**: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विधुत या इलेक्ट्रानिक और संचार या सामुद्रिक, नौसेना वास्तुविद या औधोगिक इंजिनियरी में बैचलर डिग्री। **(ii)** इंजिनियरी के सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष कार्य का अनुभव।	**आयु:-** नहीं। **शैक्षिक अर्हताएं:** नहीं, किंतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विधुतीय या विधुत और संचार या औधोगिक इंजिनियरी में कम से कम डिप्लोमा रखता हो।	एक वर्ष।	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

वांछनीय : डाकयार्ड या शिपयार्ड में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हतायें संघ लोक सेवा आयोग के विवेकावनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	**टिप्पण** : भर्ती की उपरोक्त शैक्षिक अर्हताएं इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर तकनीकी सहायक की श्रेणी में पदधारी को लागू नहीं होगी।		

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या प्रबंधकीय कौशल में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समुह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष/सदस्य, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) - सदस्य । **समुह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- 1. संयुक्तसचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) - सदस्य; 3. निदेशक नौसेना अनुरक्षण, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) - सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. तकनीकी सहायक (इंजिनियरी या विधुत या संनिर्माण या आयुद्ध पी पी और सी या सकर्म)	185* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600-151100 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44900-142400 रु.)में ऐसे फोरमैन जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या प्रबंधकीय कौशल में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहाहो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

12)	(13)
समुह 'ख'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.सहायक कार्मिकप्रमुख, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) -अध्यक्ष; 2 निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक नौसेनाअनुरक्षण, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(नौसेना) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.-सी. पी. (जी.)/1508/आर. आर./टी.ओ./254/2020/रक्षा (नि.)]

देवेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th December, 2020

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Indian Navy Civilian Technical Officers (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2003; and (ii) Indian Navy Civilian Technical Officers (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Technical Officer, Senior Technical Officer, Technical Officer, Junior Technical Officer and Technical Assistant in the Indian Navy, Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy Civilian, Chief Technical Officer, Senior Technical Officer, Technical Officer, Junior Technical Officer and Technical Assistant (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, Classification and Level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class to category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.**Chief Technical Officer.**	4*(2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(9)	(10)	(11)
Two years for re-employed Armed Forces Personnel.	Promotion failing which by deputation (including short term contract). For Ex-servicemen : Deputation or re-employment.	**Promotion** : Senior Technical Officer in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks of training in Technical or Managerial Skills from a recognised institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered

		provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or States Government or Union territories or public sector undertakings or recognised Universities or research institutions or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or level-12A in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelors degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communication or Marine or Naval Architecture or Industrial Engineering from a recognised University or institute; (ii) Ten years working experience in relevant field of engineering out of which at least three years experience in Dockyard or Shipyard in Production, Planning, Control and Refit of Ships or Vessels. **Desirable:** (i) Masters degree in Mechanical or Electrical or Telecommunication or Marine or Naval Architecture or Industrial Engineering from a recognised University or institute. (ii) Two years experience of General Administration. **Deputation or re-employment (for Ex-servicemen):** The Armed Forces Personnel of the rank of Commander (IN) and above or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputation (including short term contract) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note1**: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

		Note3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member; 3. Principal Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of**:- 1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Chairman; 2. Assistant Chief of Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member; 3. Principal Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for Re-employment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. **Senior Technical Officer.**	08*(2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for re-employed Armed Forces Personnel.	Promotion failing which by deputation (including short term contract). For Ex-servicemen: Deputation or re-employment.	**Promotion** : Technical Officer in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in Technical or Managerial skills from recognised institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two

		years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or States Government or Union territories or public sector undertakings or recognised Universities or research institutions or statutory or autonomous organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelors degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communication or Marine or Naval Architecture or Industrial Engineering from a recognised University or institute. ii) Seven years working experience in relevant filed of Engineering out of which at least two years experience in Dockyard or Shipyard in Production, Planning, Control and Refit of Ships or Vessels. **Desirable:** One year experience of general administration. **Deputation or re-employment (for Ex-servicemen):** The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant Commander (IN) and above or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputation (including short term contract) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for

		appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of** :- 1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Chairman; 2 Principal Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for re-employment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. **Technical Officer.**	15*(2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for re-employed Armed Forces Personnel.	Promotion failing which by deputation (including short term contract). For Ex-servicemen: Deputation or re-employment.	**Promotion :** Junior Technical Officer in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in Technical or Managerial skills from a recognised institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or

		eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or States Government or Union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or statutory or autonomous organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelors degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communication or Marine or Naval Architecture or Industrial Engineering from a recognised University or institute. (ii) Five years working experience in relevant field of engineering out of which at least one year experience in Dockyard or Shipyard in Production, Planning, Control and Refit of Ships or Vessels. **Deputation or re-employment (for ex-servicemen):** The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant Commander (IN) or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputation (including short term contract) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note3**: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Secretary, Ministry of Defence - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for re-employment.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Secretary, Ministry of Defence - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. **Junior Technical Officer.**	32*(2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty-five years of age. **Note 1**:Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (i) Bachelors degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communication or Marine or Naval Architecture or Industrial Engineering from a recognised University or institute. (ii) Three years working experience in relevant field of Engineering. **Desirable:** At least one year experience in Dockyard or Shipyard. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	**Age:** No. Educational Qualification: No, but must possess at least Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics and Communication or Marine or Naval Architecture or Industrial Engineering from a recognised University or institute. **Note:** Requirement of above education qualifications shall not be applicable to incumbents in the grade of Technical Assistant on the date of notification of these rules.

(9)	(10)	(11)
One year.	Seventy-five percent by promotion, twenty-five percent by direct recruitment.	**Promotion** : Technical Assistant in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in Technical or Managerial skills from a recognised institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of** :- 1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Chairman; 2. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member; 3. Director of Fleet Maintenance, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. **Technical Assistant (Engineering or Electrical or Construction or Weapon or PP and C or Works).**	185* (2020) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non - Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	**Promotion** : Foreman in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in Technical or Managerial skills from a recognised institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service,

		or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Assistant Chief of Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) -Chairman; 2. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) -Member; 3. Joint Director of Fleet Maintenance, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. CP(G)/1508/RR/TO/254/2020/D (Appointments)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.29 19:00:44 +05'30'